

पूर्वोत्तर रेलवे



ई०पी०सं०- 03-32
क्रमांक-219/2017
आरबीई सं०-117/2017
सं०ई/9/15/भाग-II/चार

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर

दिनांक 16.10.2017

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
समी विभागाध्यक्ष
समी मण्डल रेल प्रबन्धक
समी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
समी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्था०
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-यात्रा भत्ता नियम- सातवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप सीटीजी आदि पर स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या एफ(ई) 2017/ए.एल-28/41 दिनांक 12.09.2017 की हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(यू०पी०सिंह)
उपमुकाधि/अराज
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 6- मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

महाप्रबन्धक कार्यालय
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
18 SEP 2017
RB
महाप्रबन्धक सचिव

CPO, PFA

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

पीसी-VII सं. 53

आरबीई सं. 117/2017

सं. एफ(ई)/2017/एएल-28/41

नई दिल्ली, दिनांक 12.09.2017

महाप्रबन्धक,
सभी भारतीय रेलें आदि
(मानक डाक-सूची के अनुसार)

N.E. Railway

सुकाधि/प्रकाश
20/9/17
Dy. CPO
OST/Kulling

विषय: यात्रा भत्ता नियम - सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप सीटीजी आदि पर स्पष्टीकरण के संबंध में।

यात्रा भत्ता की पात्रता के संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित बोर्ड के दिनांक 24.08.2017 के समसंख्यक पत्र के अनुक्रम में, स्थानांतरण और सेवानिवृत्त होने पर सीटीजी एवं निजी सामान की दुलाई की स्वीकार्यता निम्नानुसार विनियमित होगी:

- (i) यदि रेल सेवक का स्थानांतरण 01.07.2017 से पहले हुआ हो और उसने 01.07.2017 से पूर्व कार्यभार ग्रहण कर लिया हो तो वह संशोधनपूर्व वेतनमान पर सीटीजी प्राप्त करने का पात्र होगा। यदि निजी सामान को 01.07.2017 के बाद शिफ्ट किया गया हो तो निजी सामान की दुलाई के लिए संशोधित दरें स्वीकार्य होंगी।
- (ii) यदि रेल सेवक का 01.07.2017 से पहले स्थानांतरण हो गया हो और उसने 01.07.2017 को या उसके बाद कार्यभार ग्रहण किया हो तो वह संशोधित वेतनमान पर सीटीजी प्राप्त करने का पात्र होगा। चूंकि निजी सामान 01.07.2017 के बाद शिफ्ट किया जाएगा, अतः निजी सामान की दुलाई के लिए संशोधित दरें स्वीकार्य होंगी।
- (iii) सेवानिवृत्ति के मामले में, यदि रेल सेवक 01.07.2017 से पहले सेवानिवृत्त हो गया हो तो वह संशोधनपूर्व वेतनमान पर सीटीजी प्राप्त करने का पात्र होगा। यदि निजी सामान को 01.07.2017 के बाद शिफ्ट किया गया हो तो निजी सामान की दुलाई के लिए संशोधित दरें स्वीकार्य होंगी।

2. कृपया पावती दें।

सोनाली चतुर्वेदी

(सोनाली चतुर्वेदी)
उप निदेशक वित्त (स्था.)
रेलवे बोर्ड

Received
3-10-2017

Ruling to Anulati Ms

25/9/17

480
22/9